


12.04.2023:-पत्रावली पेशी मे आई। वादी वकील उपस्थित नही
आये। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार
आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी
असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी
व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के
कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की
जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सत्यमेव जयते


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

